



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042022-235180
CG-DL-E-18042022-235180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1741]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 1741]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1830(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप कलक्टर, पालनपुर, भूमि तल, जोरावर पैलेस, कलक्टर आफिस, बनासकांठा, पालनपुर, गुजरात को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, उनका सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ़ेड कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली संरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : बनासकांठा

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	नया सर्वेक्षण ब्लॉक संख्या	हेक्टर में क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पालनपुर	सुरजपुरा	89	0.1500
2			174	0.1000
3			178	0.1600
4		सेद्रासण	144	0.1400
5			122	0.0600
6			118	0.0150
7		सदरपुर	310	0.3783
8			580	0.1200
9			570	0.1400
10			571	0.1000
11			572	0.3400
12			584	0.0800
13		पालनपुर	1808	0.1200
14			1917	0.1500
15			1916	0.0750
16			1908	0.0200
17			1915	0.0250
18			1913	0.0250
19			1911	0.0350
20			1912	0.0700
21			1909	0.1200
22			1955	0.1000

23			309	0.8000
24			316	0.6000
25		खोडला	315	0.0050
26			318	0.1500
27			319	0.0600
28		जगाणा	1157	0.2200
29	वडगाम	मालोसणा	149	0.2000

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2301]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1830(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district Banaskantha in the State of Gujarat hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Deputy Collector, Palanpur, Ground Floor, Jorawar Palace, Collector Office, Banaskantha, Palanpur, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further inquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without falling within the proposed Special Railway Project,
Western Dedicated Freight Corridor in the district Banaskantha in the State of Gujarat.**

Name of District: Banaskantha

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	New Survey /Block Number	Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Palanpur	Surajpura	89	0.1500
2			174	0.1000
3			178	0.1600
4		Sedrasana	144	0.1400
5			122	0.0600
6			118	0.0150
7		Sadarpur	310	0.3783
8			580	0.1200
9			570	0.1400
10			571	0.1000
11			572	0.3400
12			584	0.0800
13		Palanpur	1808	0.1200
14			1917	0.1500
15			1916	0.0750
16			1908	0.0200
17			1915	0.0250
18			1913	0.0250
19			1911	0.0350
20			1912	0.0700
21			1909	0.1200
22			1955	0.1000
23		Khodla	309	0.8000
24			316	0.6000

25			315	0.0050
26			318	0.1500
27			319	0.0600
28		Jagana	1157	0.2200
29	Vadgam	Malosana	149	0.2000

[F.No. 2022/LML-II/12/1/WC/2301]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)